Need to enact a new law for prevention of cruelty to animals.-laid

श्री सनातन पांडेय **(**बलिया**) :** 19 जुलाई को पूरा राष्ट्र 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत अमर शहीद मंगल पांडे को उनकी जन्म जयंती पर नमन कर रहा है । मंगल पांडे की एक हुंकार ?प्राणी की चर्बी नहीं छुएंगे? ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी । उनका यह बलिदान केवल एक सैनिक का विद्रोह नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति और धर्म की रक्षा का प्रण था जिसमें हर जीव में ईश्वर का रूप देखा गया था । आज उसी भारत में करोड़ बेजुबान प्राणियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए एक और क्रांति की जरूरत है । हम भारत के जीव प्रेमी और जागरूक नागरिक एक भारी मन और एक जलती हुई आशा के साथ सरकार से निवेदन करते हैं कि इस जीवन धन को बचाने के लिए एक सख्त से सख्त कानून बनाने की जरूरत है । इन बेजुबानों की मूक सीखें हमारी अंतरात्मा पर एक बोझ हैI पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (पीसीए एक्ट) 1960 को तत्काल amend किया जाए। यह एक सत्य है कि दया का कानून आज स्वयं दया मांग रहा है । 1960 का यह कानून जिसमें क्रूरता के लिए मात्र ₹50 का जुर्माना है, आज एक क्रूर मजाक बन चुका है । यह कानून अपराधियों को दंडित नहीं बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करता है । यह क्रूरता नहीं शैतानियत है, जिसे हमारा कानून मूक दर्शक बनकर देख रहा है । हमारे वेद, पुराण, कुरान और बाइबल, हर धर्म ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीव सेवा ही ईश्वर सेवा है । हमारे शास्त्र कहते हैं कि "अहिंसा परमो धर्म" और "सर्व जीवेषु दया", लेकिन यह कानून इन महान आदर्शों का प्रतिदिन अपमान करता है । प्राणियों को भोजन कराना पुण्य माना गया है, लेकिन जब तक उन्हें क्रूरता से बचाने वाला कोई सख्त कानून नहीं होगा, तब तक यह पुण्य अधूरा है । करुणा की स्थापना के लिए और इंसानों तथा जानवरों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए इस कानून को बदलना पशुधन हित में अति आवश्यक है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए नया कानून बनाकर पशुओं के जीवन की रक्षा करें-

1. पशुओं के रात्रिकालीन परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगे ।
2. मांस और जीवित पशुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए ।
3. शिक्षा प्रणाली में करुणा शिक्षा को अनिवार्य किया जाए ।
4. पशु आश्रयों, गौशालाओं और चरागाहों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जाए ।